

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 107

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02242

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "जे.बी. सिटी", प्रमोटर-जे.बी. होम्स, द्वारा-श्री उमेश कुमार अग्रवाल, पता-140, बाजारपारा वार्ड, गांधी चौक, शनि मंदिर के पास, नेवरा, (तिल्दा-नेवरा), जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"जे.बी. सिटी" पता-कोहका, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
06/03/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "जे.बी. सिटी" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA200718000614 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 20.07.2018 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनांक 01.08.2023 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा-59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 28.11.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 15.02.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- अनावेदक द्वारा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत जवाब में लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट "जे.बी. सिटी" का रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर-PCGRERA200718000614 है, जिसका कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र रेरा कार्यालय में दिनांक 22.09.2023 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त कॉलोनी एवं मकानों का पूर्णता प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी, तिल्दा-नेवरा एवं संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा क्रमशः दिनांक 22.06.2023 एवं 10.05.2023 को</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 107

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02242

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "जे.बी. सिटी", प्रमोटर-जे.बी. होम्स, द्वारा-श्री उमेश कुमार अग्रवाल, पता-140, बाजारपारा वार्ड, गांधी चौक, शनि मंदिर के पास, नेवरा, (तिल्दा-नेवरा), जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"जे.बी. सिटी" पता-कोहका, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>प्रदान किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है।</p> <ul style="list-style-type: none">- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 10.05.2023 को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन जून, 2023 तक पूर्ण किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	